मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013-श्रावण 04, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रमेश चन्द्र मलारया आत्मज श्री किशोरी लाल मलारया, उम्र 40 वर्ष, मुहल्ला तालपुरा निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) ने अपना उप-नाम बदल दिया है. अत: मुझे रमेश चन्द्र मलारया के स्थान पर रमेश चन्द्र बनर्जी के नाम से जाना जावे एवं सभी सरकारी , गैर सरकारी दस्तावेजों में परिवर्तन हेतु बदला हुआ नाम रमेश चन्द्र बनर्जी लिखा जावे.

पुराना नाम :

(रमेश चन्द्र मलारया)

नया नाम :

(रमेश चन्द्र बनर्जी)

(214-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आकाश कुमार था, जिसमें अब मैंने अपना उपनाम लगाकर आकाश टिलवानी कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम आकाश टिलवानी से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(आकाश कुमार)

नया नाम :

(आकाश टिलवानी)

पुरानी सब्जी मण्डी चूनगर फाटक,

दतिया मध्यप्रदेश.

(215-बी.)

CHANGE OF NAME

I, KAPIL ARORA S/o Sh. Om Prakash Arora BM-366, D. D. Nagar, Gwalior has changed my name to HARSHAD ARORA and from now on known and called as HARSHAD ARORA.

Old Name :

(KAPIL ARORA)

New Name :

(HARSHAD ARORA)

(216-B.)

CHANGE IN NAME

I, WALI MOHAMMED CHAUHAN here by Declare that I have change My Name as MOHAMMED WALI KHAN. So , from now and in future I will be known by my new Name MOHAMMED WALI KHAN.

Old Name :
(WALI MOHAMMED CHAUHAN)

New Name :
(MOHAMMED WALI KHAN)
Flat No.-301, Prateek Appt.119,
Shree Nagar Ext. INDORE (M.P.).

(217-B.)

CHANGE IN NAME

I, Noshin Here by Declare, That I have changed My name as Noshin Ali Barnagar wala D/o Mushtak Ali so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :
(NOSHIN)

New Name :
(NOSHIN ALI BARNAGAR WALA)
69, Saifee Nagar, Khati wala Tank,
INDORE (M.P.).

(218-B.)

CHANGE IN SURNAME

It is to bring kind notice to the people that my son Previous name PRINCE PIRODIA has been changed to SHUBH PIRODIA. There fore, in futurc my son will be known by the her new name only.

SANDEEP PIRODIA,
108, Chandni Chowk,
Ratlam (M.P.).

(219-B.)

Notification

(Public Notice about change in the Constitution of firm with effect from 17 January, 2013)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitiution of the partnership firm here to before subssting between the undersigned and Smt. poonam shrivastava vide deed of partnership dated 1st November, 2010 for carring on business of Buildership, Civil Construction of roads, Dams, Factory sheds etc., in the firm name and style of M/s PRIME INFRASTRUCTURE & DEVELOPERS at Bhopal, has been changed. The details of changes are as under:-

" Smt. Poonam Shrivastava partner of the firm has been retired and in thier place Shri Bhoj Raj Pathak, Shri Vijay Agarwal & Smt. Pramila Agarewal have been taken as partners".

PREETANJALI PATHAK,
Partner,
Partner of M/s Prime Infrastructure & Developers,
Flat No. S/2, Plot No. 355, Silver Shell Apartment,
Trilanga,Bhopal.

(220-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मित्तल इंटरप्रायजेस, 2, शिवाजी नगर, इन्दौर, पंजीयन क्र. 2314, दिनांक 03 फरवरी, 1979 से दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 को श्री गोपालदास पिता स्व. श्री बाबूलाल मित्तल रिटायर हो गये हैं. उक्त दिनांक से श्री अर्पित पिता स्व. श्री अनिल कुमार मित्तल कर्ता श्री अनिल कुमार मित्तल एच. यु. एफ. एवं श्रीमति मृदुला पति स्व. श्री अनिल कुमार मित्तल बराबर के भागीदार हैं.

For Anil kumar Mittal H.U.F,
ARPIT MITTAL,
(KARTA).

(221-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मित्तल उद्योग 2, - शिवाजी नगर, इन्दौर, पंजीयन क्र. 2305, दिनांक 02 फरवरी, 1979 से दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 को श्री गोपालदास पिता स्व. श्री बाबूलाल मित्तल रिटायर हो गये हैं. उक्त दिनांक से श्री अर्पित पिता स्व. श्री अनिल कुमार मित्तल 20 प्रतिशत, श्रीमति मृदुला पति स्व. श्री अनिल कुमार मित्तल 20 प्रतिशत एवं ए. वी. ए. मैटालिक्स प्रायवेट लिमिटेड 60 प्रतिशत के भागीदार हैं.

For MITTAL UDYOG
(अर्पित मित्तल),
Partner/Authorised Signatory

(222-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र वर्तमान में शांतिनिकेतन मांटेसरी स्कूल होशंगाबाद कक्षा 10 वीं का छात्र है. मेरे पुत्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में प्रामाणिक सुप्रिय निताई लिखा है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सुप्रिय प्रामाणिक है, जो कि मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है. अत: मेरे पुत्र को सुप्रिय प्रामाणिक (SUPRIYA PRAMANIK) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

निताई प्रामाणिक (पिता),
आनंद नगर, होशंगाबाद (म.प्र.).

(223-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चन्द्र शेखर वॉशिंगटन है, मेरी पुत्री रोशिता वॉशिंगटन की मार्कशीटों में मेरा नाम त्रुटिवश शेखर वॉशिंगटन लिखा गया है. अत: मेरी बच्ची के सभी डॉक्यूमैंटस में मेरा नाम चन्द्र शेखर वॉशिंगटन लिखा और पढ़ा जावे.

गलत नाम :
(शेखर वॉशिंगटन)
(SHEKHAR WASHINGTON)

सही नाम :
(चन्द्र शेखर वॉशिंगटन)
(CHANDRA SHEKHAR WASHINGTON)
LIG-176, Harshwardhan Nagar,
Near Mata Mandir, Bhopal (M.P.).

(225-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बिन्धु थॉमस पुत्री थोमस जोसफ है एवं समस्त दंस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज है, लेकिन विवाह उपरांत मेरा नाम बिन्धु पाठक हो गया है, परन्तु विवाह उपरांत भी मैं अपना नाम बिन्धु थॉमस पुत्री थोमस जोसफ ही रखना चाहती हूँ, सो सभी को विदित हो.

पुराना नाम :
(बिन्धु पाठक)

नया नाम :
(बिन्धु थॉमस)
पुत्री थोमस जोसफ.

(226-बी.)

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार पराग पिता एकनाथ शिन्दे स्थायी निवासी मोहल्ला प्रिप्राला प्लाट नम्बर 19, गट नम्बर 200/1 शहर तहसील जिला जलगांव महाराष्ट्र, हाल हाजिर, बुरहानपुर की ओर से यह जाहिर सूचना दी जाती है कि पार्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कार्यालय सिंधीपुरा बुरहानपुर स्थित था जो फर्म भागीदारी के रूप में फर्म क्रमांक 03/47/02/00074/12, सन् 2012-13 सतपुड़ा भवन द्वितीय तल लोक निर्माण विभाग भोपाल मध्यप्रदेश में रजिस्टर्ड है. उक्त फर्म भवन निर्माण इत्यादि का कार्य करती है. उक्त फर्म में पूर्व में मयूर पिता चन्द्रहास पटेल, निवासी बुरहानपुर भी फर्म में भागीदारी के रूप में कार्यरत थे. किन्तु उक्त फर्म का दिनांक 09 जुलाई, 2013 को विघटन हो गया है. जिसके सम्बन्ध में भागीदार मयूर पिता चन्द्रहास पटेल के द्वारा भागीदारी विघटन विलेख भी पराग पिता एकनाथ शिन्दे के पक्ष में निष्पादित कर अपनी भागीदारी समाप्त कर ली है. यह फर्म भागीदारी के असतित्व में नहीं रही है. दिनांक 09 जुलाई, 2013 से उक्त फर्म के एक मात्र स्वामी प्रोप्रायटर मेरे पक्षकार पराग पिता एकनाथ शिन्दे हो गये हैं.

विजय जबादे,
अधिवक्ता.

(224-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2013

क्र.जी.बी. चार/पेपर (1) 2013-14/2514.—मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सामान्य कार्य हेतु 60 जी. एस. एम. सफेद आफसेट प्रिंटिंग पेपर (लगभग 1255 मी. टन) तथा अन्य कार्य के पेपर क्रमशः कलर आफसेट पेपर, मेपलिथो पेपर, मनीला एम. जी. पेपर, आर्ट पेपर, अज्युरलेड पेपर, क्राफ्ट पेपर, स्ट्रा बोर्ड एवं ग्रे-बोर्ड का क्रय हेतु मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदाएं पृथक्-पृथक् लिफाफों में एवं ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है. समस्त आयटम के लिये पेपर मिल एवं उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि निविदा में भाग ले सकते हैं.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic. in** पर रखा गया है एवं ऑनलाईन निविदा **https: //mpeprocurement.com** पर रखा गया है.

3. टेण्डर फॉर्म की हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **12 अगस्त, 2013** को कार्यालयीन समय अपरान्ह 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का **टेक्निकल टेण्डर** (Technical Tender) उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **12 अगस्त, 2013** को अपरान्ह 3.00 बजे ऑनलाईन टेण्डर स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

(370)

Bhopal, dated 18th July, 2013

No. GB-IV-paper (1) 2013-14/2514.—ONLINE and Sealed envelopes of Technical & Commercial (separately) tenders are invited for the supply of 60 GSM White Offset printing paper (approx. quantity 1255 MT) and other papers like Colour Offset paper, Maplitho Paper, Art Paper, Cover Manila MG paper, Azurled Paper, Kraft Paper, Greay Board and Straw Board for general use of different departments in Government of M.P. For all the items, paper manufacturing mills or their authorised dealers/representative can participate.

2. Tender Document and agreements details of tender are available at website **www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in** *and for Online Bidding go through* **https: //mpeprocurement.com.**

3. In all respects complete tender document must be received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **12th August, 2013** and the Envelope 'A' of technical tender of Hard Copy and Envelope 'B' of Commercial Tender of Hard Copy and other Key Dates are mentioned as per Key Dates List.

AJIT KESARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(370-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/400.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./272, होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2006 के द्वारा आदिवासी रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., चौकीपुरा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2690, दिनांक 11 मार्च, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर बसंत मोने, उप-अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए आदिवासी रेत खदान सह. संस्था मर्या., चौकीपुरा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/401.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./107, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2394, दिनांक 07 अगस्त, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुगाया, सह. निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम,, 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिवनी मालवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-A)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/402.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./107, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा शीतल महिला बहु. साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2730, दिनांक 09 मार्च, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुगाया, सह. निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए शीतल महिला बहु. साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-B)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/403.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./109, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निरावी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2303, दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निरावी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-C)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/404.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोढरा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2289, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहायक निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-13(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोढरा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-D)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/405.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./107, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा प्रा. कन्या शाला प्रा. उप. भण्डार मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2019, दिनांक 17 जुलाई, 1969 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुगाया, सह. निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रा. कन्या शाला प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., इटारसी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-E)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/406.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगढाल, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2136, दिनांक 26 अगस्त, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगढाल का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-F)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/407.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1316, होशंगाबाद, दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मृत्युंजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2122, दिनांक 08 मार्च, 1981 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, वरि. सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए मृत्युंजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इटारसी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-G)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/408.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./965, होशंगाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोटलाखेड़ी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2275, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. कुशवाहा, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोटलाखेड़ी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-H)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/409.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./907, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धुआ, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2133, दिनांक 26 अगस्त, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनिता चौधरी, सह. निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धुआ का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-I)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/410.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./107, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा माँ वैष्णव देवी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2502, दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुगाया, सह. निरीक्षक, कार्यालय उप- आयुक्त होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए माँ वैष्णव देवी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सिवनी मालवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-J)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/411.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1130, होशंगाबाद, दिनांक 28 जुलाई, 2008 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाड़ाघाट, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2400, दिनांक 07 अगस्त, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जसवंत मोने, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाड़ाघाट का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-K)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/412.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./178, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2008 के द्वारा म.प्र. वि. मण्डल कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2723, दिनांक 20 जून, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सह. निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए म.प्र. वि. मण्डल कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., इटारसी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-L)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/413.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./880, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा छावनी कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पचमढी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2403, दिनांक 16 नवम्बर, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. डी. पाल, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए छावनी कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पचमढी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-M)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/414.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1203, होशंगाबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंचीतरोंदा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2302, दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंचीतरोंदा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-N)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/415.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./272, होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2008 के द्वारा आदर्श नेहरू काष्ठ कला सहकारी संस्था मर्या., बावई, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2333, दिनांक 06 दिसम्बर, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. डी. पाल, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए आदर्श नेहरू काष्ठ कला सहकारी संस्था मर्या., बावई का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-O)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/416.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1674, होशंगाबाद, दिनांक 07 सितम्बर, 1999 के द्वारा मेकलसुता प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2341, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, वरि. सह. निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाहीं से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए मेकलसुता प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-P)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/417.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2009/293, होशंगाबाद, दिनांक 21 जनवरी, 2009 के द्वारा आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2118, दिनांक 13 जनवरी, 1981 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/418.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./908, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापड़ाग्रहण, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2288, दिनांक 14 सितम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनिता चौधरी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापड़ाग्रहण का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-R)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/419.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./965, होशंगाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./गिट्टी रेत खदान सहकारी समिति मर्या., टेमलाकलां, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2388, दिनांक 25 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. कुशवाहा, उप-अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए अ.जा./अ.ज.जा./ गिट्टी रेत खदान सहकारी समिति मर्या., टेमलाकलां का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-S)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/420.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./272, होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2006 के द्वारा आर्डिनेन्स केन्द्रीय कर्म. प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2108, दिनांक 28 सितम्बर, 1979 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सह. नि., कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्डिनेन्स केन्द्रीय कर्म. प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., इटारसी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-T)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/421.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./24, होशंगाबाद, दिनांक 04 जनवरी, 2002 के द्वारा तवाविस्थापित एवं प्रभावित आदि. सह. मत्स्य समि. मर्या., वासनिया, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2623, दिनांक 03 जून, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, व.स.नि., कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तवाविस्थापित एवं प्रभावित आदि. सह. मत्स्य समि. मर्या., वासनिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-U)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/422.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1031, होशंगाबाद, दिनांक 07 अगस्त, 2010 के द्वारा एम. ए. एफ. प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., बावई, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2114, दिनांक 30 जून, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनिता चौधरी, सह. निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए एम. ए. एफ. प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., बाबई का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-V)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/423.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1022, होशंगाबाद, दिनांक 05 अगस्त, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2360, दिनांक 20 सितम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री किशोर पाराशर, व.स.नि., कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-W)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/424.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./965, होशंगाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा नवीन चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., पालाखेड़ी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2543, दिनांक 11 जनवरी, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. कुशवाहा, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए नवीन चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., पालाखेड़ी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-X)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/425.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./106, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कासाखेड़ी, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2212, दिनांक 29 सितम्बर, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. जाट, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कासाखेड़ी का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Y)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/426.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./109, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बलवाड़ा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2134, दिनांक 26 अगस्त, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बलवाड़ा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Z)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/427.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./109, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सह. समि. मर्या. भैरोपुर, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2283, दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम.के. महतो, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सह. समि. मर्या. भैरोपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/428.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./272, होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2006 के द्वारा जिला सह. के. बैंक कर्म. गृ. नि. सह. संस्था मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2192, दिनांक 18 फरवरी, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षक अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला सह. के. बैंक कर्म. गृ. नि. सह. संस्था मर्या., होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-A)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/429.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./849, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा जाग्रति महिला बहु. सह. संस्था मर्या., तारारोड़ा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2798, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि., कार्यालय उप-आयुक्त सह. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए जाग्रति महिला बहु. सह. संस्था मर्या., तारारोड़ा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-B)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/430.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./905, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रावनपीपल, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2285, दिनांक 24 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनिता चौधरी, सह. निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रावनपीपल का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-C)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/431.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1494, होशंगाबाद, दिनांक 07 सितम्बर, 2000 के द्वारा विनोवा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2346, दिनांक 21 जनवरी, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, वरि. सह. निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए विनोवा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., पिपरिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-D)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/432.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./109, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., तिनस्या, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2281, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., तिनस्या का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-E)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/433.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./890, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतवासा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2811, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर मोने, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतवासा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-F)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/434.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./846, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा मेकलसुता महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कालाआखर, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2832, दिनांक 31 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष कतिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक उप-आयुक्त सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए मेकलसुता महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कालाआखर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-G)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/435.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./106, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नंदरवाडा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2282, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. जाट, स. नि. कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नंदरवाडा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्थाओं का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनिल कुमार,
उप-पंजीयक.

(367-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/496.—अग्रसेन प्राथ.उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 59, दिनांक 17 मई, 2006 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रसेन प्राथ.उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/497.—नागरिक शाख सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 06 जून, 2005 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक शाख सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-A)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/498.— मुरैना मार्केन्टाइल शाख सहकारिता मर्या., मुरैना पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 15 मार्च, 2005 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरैना मार्केन्टाइल शाख सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-B)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/499.—बजरंग सरकार प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजरंग सरकार प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-C)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/500.—जय गिर्राज प्रा. उप. सहकारिता मर्या., बामौर, पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 08 अक्टूबर, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयगिर्राज प्रा. उप. सहकारिता मर्या., बामौर को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बमौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-D)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/501.—श्री कृष्ण स्वा. शाख सहकारिता मर्या., जौराखुर्द, पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 18 मई, 2001 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण स्वा. शाख सहकारिता मर्या., जौराखुर्द को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-E)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/502.—भारतीय बैंक अधिकारी, कर्म. स्वा. शाख सहकारिता मर्या., मुरैना पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बैंक अधिकारी, कर्म. स्वा. शाख सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-F)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/503.—आदर्श लेवर कान्ट्रेक्ट स्वा. सहकारिता मर्या., मुरैना पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 15 मई, 2002 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श लेवर कान्ट्रेक्ट स्वा. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-G)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/504.—श्री गणेश प्राथ. उपभोक्ता सहकारिता मर्या.; मुरैना पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 18 सितम्बर, 2002 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश प्राथ. उपभोक्ता सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-H)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/505.—माँ खोरो प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 31 मार्च, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ खोरो प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., कैलारस को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कैलारस को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-I)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/506.—माँ बहरारा प्राथ. उपभोक्ता सहकारिता मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 05 फरवरी, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ बहरारा प्राथ. उपभोक्ता सहकारिता मर्या., कैलारस को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कैलारस को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-J)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/507.—अन्ना प्राथ. उपभोक्ता सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 08, दिनांक 07 मई, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्ना प्राथ. उपभोक्ता सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-K)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/508.—महात्मा लोचनदास प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 11 जुलाई, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा लोचनदास प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता

विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड अम्बाह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-L)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/509.—जय बजरंग प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 21 जुलाई, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय बजरंग प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-M)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/510.—नागाजी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 04 सितम्बर, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागाजी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-N)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/511.—बजरंग प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 04 सितम्बर, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित

कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजरंग प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-O)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/512.—प्रेरणा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेरणा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-P)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/513.—सेवा भारती प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 15, दिनांक 18 सितम्बर, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा भारती प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-Q)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/514.—बालाजी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 29 सितम्बर, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-R)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/515.—जयकरन प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., झुण्डपुरा, पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयकरन प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., झुण्डपुरा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सबलगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-S)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/516.—बालाजी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., सुभाषनगर मुरैना, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 19 जनवरी, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., सुभाषनगर मुरैना को

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-T)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/517.—शिवम प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., सवलगढ़, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 09 फरवरी, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवम प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., सबलगढ़ को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सबलगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-U)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/518.—माँ वैष्णो देवी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या.,सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 12 फरवरी, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ वैष्णो देवी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या.,सवलगढ़ को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सबलगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-V)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/519.—बजरंग प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 16 फरवरी, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजरंग प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., सबलगढ़ को मध्यप्रदेश स्थापत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सबलगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-W)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/520.—किसान प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 26 फरवरी, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-X)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/521.—संत कृपा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 26 फरवरी, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संत कृपा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-Y)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/522.—जयकाली प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 04 मार्च, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयकाली प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड अम्बाह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-Z)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/523.—शिवनारायण प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 03 जून, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवनारायण प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/524.—आदिति प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 09 जून, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिति प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी,

विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-A)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/525.—माँ पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., जौरा, पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 21 जून, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., जौरा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जौरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-B)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/526.—अग्रवाल प्राथ. उप. सहकारिता मर्या.,अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 24 जून, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रवाल प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड अम्बाह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-C)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/527.—श्री गणेश प्राथ. उप. सहकारिता मर्या.,अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 02 जुलाई, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश प्राथ. उप. सहकारिता मर्या.,अम्बाह को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड अम्बाह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-D)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/528.—माँ पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 07 जुलाई, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., कैलारस को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कैलारस को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-E)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/529.—बसुंधरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 21 जुलाई, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बसुंधरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., अम्बाह को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड अम्बाह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-F)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/530.—माँ वागवाली प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 40, दिनांक 26 जुलाई, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत

सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ वागवाली प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., कैलारस को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कैलारस को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-G)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/531.—जयगिर्राज प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 27 जुलाई, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयगिर्राज प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-H)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/532.—पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., बामौर, पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 28 जुलाई, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., बामौर को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की आस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-I)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/533.—महावीर सरकार प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 44, दिनांक 05 अगस्त, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर सरकार प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-J)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र.क्र./स्था./2013/534.—जयरणसिंह बाबा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., जौरा, पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 22 सितम्बर, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयरणसिंह बाबा प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., जौरा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जौरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-K)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/535.—कैलादेवी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 22 सितम्बर, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलादेवी प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-L)

मुरैना, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/536.—राधेकृष्ण प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राधेकृष्ण प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., मुरैना को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369-M)

मुरैन, दिनांक 11 फरवरी, 2013

क्र./स्था./2013/537.—सरस्वती प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 51, दिनांक 01 अक्टूबर, 2004 मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता है, जिसे आगे सहकारिता सम्बोधित किया जावेगा. सहकारिता द्वारा पंजीकृत होने की दिनांक से दो वर्ष के भीतर/लगातार दो वर्षों से कारोबार नहीं किया है. सहकारिता को पंजीकृत डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने के उपरांत सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. तद्उपरांत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर, 2012, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस दिनांक 26 नवम्बर, 2012, मध्य जनदर्शन दिनांक 25 नवम्बर, 2012, भारतीय मानवता दिनांक 25 नवम्बर, 2012 में सूचना प्रकाशित कराई गई, सूचना प्रकाशन के उपरांत नियत अवधि में सहकारिता द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं. अत: स्पष्ट है कि सहकारिता कारोबार नहीं कर रही है एवं अकार्यशील है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक -5-13-97-पन्द्रह-1(रि. अनु.), दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरस्वती प्राथ. उप. सहकारिता मर्या., पोरसा को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60, सहपठित धारा-59 (3)(ख) के अन्तर्गत परिसमापन में लाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पोरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि विधि अनुसार सहकारिता की अस्तियों एवं रापिलों का निराकरण कर पंजीकरण निरस्ती हेतु प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(369-N)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013-श्रावण 04, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा सागर, उमरिया, मण्डला को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील खुरई, सागर, देवरी, केसली, मालथोन (सागर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), नैनपुर, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला नीमच में फसलों पर ओलों का प्रभाव हुआ है. ईसवगोल को नुकसान हुआ है. उज्जैन, कटनी से शेष फसलों को कहीं-कहीं ओलावृष्टि से प्रभावित बड़वानी में हवा, आंधी, पानी एवं ओला से फसल गेहूँ को 15 से 25 प्रतिशत नुकसान,रायसेन में पाला-तुषार से 15 से 20 प्रतिशत व ओलावृष्टि से 20 से 50 प्रतिशत की कहीं-कहीं क्षति हुई है.

5. **कटाई.**—जिला टीकमगढ़, नीमच, झाबुआ, बैतूल में फसल गेहूँ व इन्दौर, भोपाल में गेहूँ, चना व डिण्डोरी में मसूर, मटर, अलसी, चना एवं गेहूँ व सिंगरौली में तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, सरसों, लाख व विदिशा, हरदा, मण्डला, सिवनी व कटनी में गेहूँ एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अलसी, तुअर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द अधिक. मूंगफली, तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, गन्ना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		जौ, राई-सरसों, अलसी, कम.मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मटर, आलू, प्याज अधिक.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	12.0		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	3.4				
6. देवरी	11.2				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	13.0				
10. मालथोन	6.0				
11. शाहगढ़	20.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मटर, मसूर कम.	. .	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. बुढ़ार	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		राहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	8.4		4. (1) गेहूँ, अलसी समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	17.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	11.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		मसूर, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, लाख की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, सरसों कम. मसूर, मटर, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ राई-सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई चालू है. फसलों पर ओलों का प्रभाव हुआ है. ईसवगोल को हानि हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. कटनी से शेष फसलें कहीं-कहीं ओलावृष्टि से प्रभावित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, टमाटर, मिर्च अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
***जिला अलीराजपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. उदयगढ़	. .				
4. राणापुर	. .				
5. कट्टीबाड़ा	. .				
6. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. हवा, आंधी, पानी एवं ओला से फसल गेहूँ को 15 से 25% नुकसान का अनुमान.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) कपास गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड़	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. चना, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. पाला-तुषार से 15 से 20% ओलावृष्टि से 20 से 50% फसलों को क्षति हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख सरसों, अलसी गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई रबी फसल गेहूँ, की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	. .				
4. बैतूल	. .				
5. मुलताई	. .				
6. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	3.0				
4. मण्डला	3.4				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मटर, मसूर, अलसी, चना एवं गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, सतना, अलीराजपुर, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(365)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.